

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1591—1595

Dated : 27-12-2014

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 266.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (पांचवा संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 में उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(5क) राष्ट्रपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकते हैं और इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश की, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, पुनरीक्षा कर सकते हैं और आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं, या किसी प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए विप्रेषित कर सकते हैं कि वह आगे ऐसी जांच करे जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, या ऐसे अन्य आदेशों को पारित कर सकते हैं जिन्हें वह ठीक समझें।

परंतु राष्ट्रपति के द्वारा, पेंशन या उपदान की रोकी जाने वाली या प्रत्याहरित राशि में वृद्धि करने वाले किसी आदेश को, जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को उक्त प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान किया गया है, और सिवाय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, जारी नहीं किया जाएगा।

(5ख) ऐसी परिशामनकारी या विशेष परिस्थितियां जो पुनर्विलोकन के लिए समुचित आधार हैं या कोई नई सामग्री या साक्ष्य जिसे पुनरीक्षाधीन आदेश के पारित किए जाने के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, या उपलब्ध नहीं थी और जो मामले के स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रभाव रखती हैं, के नोटिस में आने या लाए जाने पर, राष्ट्रपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं:

परंतु राष्ट्रपति के द्वारा, पेंशन या उपदान की रोकी गई अथवा प्रत्याहरित राशि में वृद्धि करने वाले किसी आदेश को, जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को उक्त प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान किया जाता है, और सिवाय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, जारी नहीं किया जाएगा।”

[सं. 38/50/2012-पी एंड पी डब्ल्यू (ए)]

तृप्ति पी. घोष, निदेशक

टिप्पण :-—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित किए गए थे। जुलाई, 1988 तक संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियम तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात्:—

(2)

1. का.आ. 254, तारीख, 4 फरवरी, 1989
2. का.आ. 970, तारीख 6 मई, 1989
3. का.आ. 2467, तारीख 7 अक्टूबर, 1989
4. का.आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का.आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का.आ. 2329, तारीख 8 सितम्बर, 1990
7. का.आ. 3269, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
8. का.आ. 3270, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
9. का.आ. 3273, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
10. का.आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का.आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का.आ. 2287, तारीख 7 सितम्बर, 1991
13. का.आ. 2740, तारीख 2 नवम्बर, 1991
14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसम्बर, 1991
15. सा.का.नि. 399, तारीख 1 फरवरी, 1991
16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1991
17. सा.का.नि. 570, तारीख 19 दिसम्बर, 1991
18. का.आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितम्बर, 1993
21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितम्बर, 1993
22. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ. 904(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2000
26. का.आ. 717(अ), तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा.का.नि. 75(अ), तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसम्बर, 2002
29. का.आ. 860(अ), तारीख 28 जुलाई, 2003

(3)

30. का.आ. 1483(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2003
31. का.आ. 1487(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2005
32. सा.का.नि. 723(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2006
33. का.आ. 1821(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2005
34. सा.का.नि. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008
35. का.आ. 1028(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008
36. का.आ. 829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010
37. सा.का.नि. 176, तारीख 11 जून, 2011
38. सा.का.नि. 928(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2012
39. सा.का.नि. 938(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2012
40. सा.का.नि. 103(अ), तारीख 21 फरवरी, 2014
41. सा.का.नि. 138(अ), तारीख 3 मार्च, 2014
42. सा.का.नि. 233(अ), तारीख 28 मार्च, 2014
43. सा.का.नि. 628(अ), तारीख 01 सितम्बर, 2014

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2014

G. S. R. 266.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Fifth Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, in rule 9, after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5A) The President may at any time, either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules, after consultation with the Union Public Service Commission, and may confirm, modify or set aside the order; or remit the case to any authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or pass such other orders as he may deem fit.

Provided that no order enhancing the amount of the pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission,

"(5B) The President may at any time, either on his own motion or otherwise review any order passed under these rules, where extenuating or special circumstances exist to warrant such review or when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice.

(4)

Provided that no order enhancing the amount of the pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission."

[No. 38/50/2012-P&PW (A)]

TRIPTI P. GHOSH, Director

Note :—The principal rules were published vide notification number S.O. 934, dated the 1st April, 1972. The Fourth Edition of the rules corrected upto July, 1988 was published in the year 1988. The said rules were subsequently amended vide notifications numbers—

1. S.O. 254, dated 4th February, 1989
2. S.O. 970, dated 6th May, 1989
3. S.O. 2467, dated 7th October, 1989
4. S.O. 899, dated 14th April, 1990
5. S.O. 1454, dated 26 May, 1990
6. S.O. 2329, dated 8th September, 1990
7. S.O. 3269, dated 8th December, 1990
8. S.O. 3270, dated 8th December, 1990
9. S.O. 3273, dated 8 December, 1990
10. S.O. 409, dated 9th February, 1991
11. S.O. 464, dated 16th February, 1991
12. S.O. 2287, dated 7th September, 1991
13. S.O. 2740, dated 2nd November, 1991
14. G.S.R. 677, dated 7th December, 1991
15. G.S.R. 399, dated 1st February, 1992
16. G.S.R. 55, dated 15th February, 1992
17. G. S. R. 570, dated 19th December, 1992
18. S.O. 258, dated 13th February, 1993
19. S.O. 1673, dated 7th August, 1993
20. G. S. R. 449, dated 11th September, 1993
21. S.O. 1984, dated 25th September, 1993
22. G. S. R. 389(E), dated 18th April, 1994
23. S.O. 1775, dated 19th July, 1997
24. S.O. 259, dated 30th January, 1999
25. S.O. 904(E), dated 30th September, 2000

(5)

26. S.O. 717(E), dated 27th July, 2001
27. G. S.R. 75(E), dated 1st February, 2002
28. S.O. 4000, dated 28th December, 2002
29. S.O. 860(E), dated 28th July, 2003
30. S.O. 1483(E), dated 30th December, 2003
31. S.O. 1487(E), dated 14th October, 2005
32. G. S.R. 723(E), dated 23rd November, 2006
33. S.O. 1821(E), dated 25th October, 2005
34. G. S.R. 258(E), dated 31st March, 2008
35. S.O. 1028(E), dated 25th April, 2008
36. S.O. 829(E), dated 12th April, 2010
37. G. S.R. 176, dated 11th June, 2011
38. G. S.R. 928(E), dated 26th December, 2012
39. G. S.R. 938(E), dated 28th December, 2012
40. G. S.R. 103(E), dated 20th February, 2014
41. G. S.R. 138(E), dated 3rd March, 2014
42. G. S.R. 233(E), dated 28th March, 2014
43. G. S.R. 628(E), dated 1st September, 2014